राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– लेखा–18 / भौ.स. / 2018–19 / दिनांक:

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः–भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालनायें भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय व आपके अधीनस्थ कार्यालयों को लिखे जाने के बावजूद आपके / अधीनस्थ कार्यालयों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनायें निरीक्षण विभाग को भिजवाया जाना बाकी है। दिनांक 04.01.2019 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के कक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में इसे गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनायें अविलम्ब निरीक्षण विभाग को भिजवायें जाने के लिए निर्देशित किया है। आगामी राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में इस मामले में विचार विमर्श किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालनायें टिप्पणी सहित सीधे ही निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवाते हुए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया आक्षेपों की सूचना 15 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

Sd
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक– लेखा–18 / भौ.स. / 2018–19 / 2973 दिनांक: 18/1/19

प्रतिलिपिः प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

C:\Users\saini\Desktop\hq folder\Sita Ram Meena\Letter.docx